भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 5808 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0परि0/2023–24, दिनांक 01 फरवरी, 2024

तकनीकी निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 3279/DDN_003/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26.09.2023 के द्वारा जनपद देहरादून की तहसील डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रान्ट (द्वितीय) जाखन नदी, के खसरा संख्या 4706 मध्ये रकवा 0.200 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 7,200 टन एवं आधार मूल्य रू0 5,04,000.00 निर्धारित करते हुये नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल के उपखनिज लॉटों को राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक 19.10.2023 (बृहस्पतिवार) को अपरान्ह्न 12.00 बजे खोली जानी निर्धारित थी।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 18. 10.2023 को आदेश पारित किया गया कि "5. We direct the petitioner to implead the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), and State Pollution Control Board, as party respondents. 6. Steps be taken within a week. 7. Notice shall be issued to SEIAA and State Pollution Control Board, returnable on 27.12.2023, by all permitted modes, including electronically. 8. List the matter on 27.12.2023. 9. In the meantime, we direct that,in case, the environment impact assessment and clearance has not been granted, the tender process shall not be proceeded in pursuance to the auction noticedated 26.09.2023". उक्त के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य आज दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी, जिसमें मा0 न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश पारित किया गया है कि "The Hon'ble Court, after hearing the Counsel for the parties at length has been pleased to dismiss the aforementionrd Writ Petition (PIL) wth the direction that the mining activity shall be carried only after obtaining the environmental clearance for the appropriate authority".

निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 4192/उ0ख0/भू0खनि0नि0/समि0/2023–24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र दिनांक 07.11.2023 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 176/पी0आई0एल0/2023 तरूण शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायाल, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिनांक 07.11.2023 को सुनवाई के उपरान्त उक्त जनहित याचिका को निरस्त (Dismissed) कर दिये जाने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या 3766/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 3278/भू0खनि0 नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 3279/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा आमंत्रित निविदा खोले जाने की कार्यवाही पर लगायी गयी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उक्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 समय अपराह्न 2.30 बजे खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त के क्रम में तकनीकी निविदा दिनांक 08.11.2023 को अपराह्न 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के

समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें ऑन लाईन कोई भी निविदा प्राप्त न होने तथा वित्तीय निविदा हेतु 03 सफल निविदाकार न होने के फलस्वरूप उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निदेशालय के आदेश संख्या 4328/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 18 नवम्बर, 2023 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

उक्त लॉट की निविदा आमंत्रण संख्या 4465/ DDN_003/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 28.11.2023 के द्वारा आमंत्रित पुनः ऑनलाईन निविदा में अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण संख्या 5542/DDN_003/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा आमंत्रित ऑनलाईन निविदा की तकनीकी निविदा दिनांक 31.01.2024 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी। निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) के अनुसार जनपद देहरादून की तहसील डोईवाला के ग्राम माजरी ग्रान्ट (द्वितीय) जाखन नदी, के खसरा संख्या 4706 मध्ये रकवा 0.200 है0 उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) को खोली गयी तकनीकी निविदा में प्राप्त निविदाताओं का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	*2*	*3*
1.	श्री अंकित जैन	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2.	श्री प्रकाश सिंह धीमान	निविदा की शर्त संख्या 07 के अनुरूप खनन अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण असफल निविदाकार घोषित।

अतः उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित निविदाकार को असफल निविदाकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व एवं विकास हित में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के **नियम–20 "अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता बनाये रखना तथा स्वेच्छापारिता दूर करना" के उपनियम–16** के प्राविधान के अन्तर्गत निविदा समिति की संस्तुति के क्रम में उपरोक्त वर्णित तालिका के क्रम संख्या–01 में वर्णित निविदादाता को सफल घोषित करते हुए निविदादाता की वित्तीय निविदा खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्तानुसार उक्त लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 01.02.2024 (शुक्रवार) समय पूर्वाह्न 11.00 बजे से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, मुख्यालय, भोपालपानी, देहरादून में खोली जायेगी।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 5808 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0 परि0/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सेल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त तकनीकी निविदा का परिणाम www.uktenders.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
2. उपरोक्त लॉट की तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि **दिनांक 02.02.2024 (शुक्रवार) समय पूर्वाह्न 11.00 बजे से** खोली जायेगी, जिसमें सम्बन्धित निविदाकार के द्वारा प्रतिभाग किया जा सकता है।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक